

उत्तर प्रदेश (कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983)

उत्तरप्रदेश शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
आयिष्यसभा
08 नवम्बर, 2002 ई०

नं० 1464/कृषि/3(5)/2002-कृषि-उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 67 के अन्तर्गत राज्य शासन उत्तरप्रदेश राज्य के राजपत्र में लागू कृषि एवं कृषि विपणन के रूप में या संशोधन के रूप में, इसे अनुसूची तथा समांतरण कर सकती है, जो आवश्यक न होगी कि:-

किसी कृषि, उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 66 के अन्तर्गत राज्य में समाप्त लागू है।

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सं० 2000) की धारा 67 के अन्तर्गत प्रावधानों का प्रयोग करते हुए श्री राजपत्र सार्व निबन्ध देते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 उत्तरप्रदेश शासन में निम्नलिखित प्रकृतियों को अन्तर्गत लागू रहेगी -

उत्तरप्रदेश (उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983) अनुसूची
एवं समांतरण आदेश, 2002

1-संशोधन शीर्षक एवं प्रारम्भ:-

(1) यह आदेश उत्तरप्रदेश (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983) अनुसूची एवं समांतरण आदेश 2002 कहलायेगा।

(2) यह आदेश प्रथम से लागू होगा।

2- "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरप्रदेश" पढ़ा जाये।

उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 में जहाँ जहाँ राज्य पर "उत्तर प्रदेश" आता है वहाँ-वहाँ पर शब्द "उत्तरप्रदेश" पढ़ा जायेगा।

3- दिनांक 9-11-2002 के समाप्त उत्तरप्रदेश के संशोधन:-

नं० 5-11-2000 के समाप्त उत्तरप्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983 में अन्तर्गत पर किये गये संशोधन का होगा।

अधीन, श्री,
(वी०पी० पाण्डेय)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 364 of the Constitution of India, The Government is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1464/Agri(3)/2002, dated 08 November 08, 2002 for general information.

NOTIFICATION
November 08, 2002

1464/Agri(3)/2002-Whereas, under section 67 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Government of Uttaranchal may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as may be necessary or expedient;

and whereas, the U.P. Agriculture Department Group "C" Service Rules, 1983 is in force as rules in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000.

Therefore, in exercise of the powers conferred under section 67 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000) the Government is pleased to direct the U.P. Agriculture Department Group "C" Service Rules, 1983 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following:-